भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *128
28.07.2021 को उत्तर देने के लिए

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना से संबंधित निधि बहाल करना

*128. श्रीमती हरसिमरत कौर बादल:

क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास (एमपीलैड) योजना से संबंधित शर्तों को शिथिल किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस वैश्विक महामारी में जब लाखों लोग मारे जा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में लोगों की मदद किए जाने की नितांत आवश्यकता है और सरकार द्वारा एमपीलैड्स निधि पर दो वर्षों अर्थात् 2020 एवं 2021 के लिए रोक लगाए जाने के कारण संसद सदस्य इन लोगों की मदद नहीं कर पा रहे हैं;
(ग) क्या सरकार देश में उत्पन्न आपात स्थिति के दृष्टिगत रोकी गई इस निधि को बहाल करेगी; और
(घ) क्या सरकार की योजना एमपीलैड्स संबंधी आबंटन को 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये किए जाने की भी है ?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), योजना मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय राज्य मंत्री [राव इंद्रजीत सिंह]

(क) से (घ) एक विवरण सभा के पटल पर रख दिया गया है।

28 जुलाई 2021 को उत्तर के लिए लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या *128 के उत्तर के भाग (क) से (घ) में संदर्भित विवरण

(क) संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) को दिशानिर्देशों के सेट द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिन्हें समुदाय की जरूरतों के आधार पर समय-समय पर संशोधित किया जाता है, जिसमें टिकाऊ संपत्ति के निर्माण को महत्व दिया जाता है। वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान, सरकार ने दिशानिर्देशों में छूट देते हुए, एमपीलैड्स के अंतर्गत सरकारी अस्पतालों और औषधालयों में ऑक्सीजन संयंत्रों की स्थापना सहित परीक्षण, स्क्रीनिंग और अन्य सुविधाओं को प्राप्त करने की अनुमति दी है। मंत्रालय द्वारा पिछली बार जून 2016 में मौजूदा एमपीलैड्स दिशानिर्देश जारी किए गए थे। दिशानिर्देशों में बाद में किए गए परिवर्तन अनुबंध। पर दिए गए हैं।

(ख) सरकार इस संबंध में अभिज्ञ है कि इस महामारी में लोगों को तत्काल मदद की आवश्यकता है। तदनुसार, मंत्रिमंडल ने 6 अप्रैल, 2020 को हुई अपनी बैठक में वित्तीय वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए एमपीलैड्स को संचालित नहीं करने का निर्णय लिया; और लोगों की आकस्मिक जरूरतों को पूरा करने के लिए इन दो वर्षों के लिए एमपीलैड्स निधियों को वित्त मंत्रालय के निपटान पर रख दिया। एमपीलैड्स योजना से बचाई गई धनराशि का उपयोग स्वास्थ्य संबंधी अवसंरचना में सुधार लाने, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत मुफ्त राशन उपलब्ध कराने और लोगों के लिए मुफ्त टीकाकरण के लिए किया गया है।

यद्यपि, संसद सदस्यों द्वारा किए गए अनुरोध पर, सरकार ने प्रतिबद्ध देयताओं को पूरा करने और वैश्विक महामारी कोविड -19 के दौरान लोगों की मदद करने के लिए पिछले वर्षों और वर्ष 2019-20 की लंबित किस्तों के संबंध में वर्ष 2021-22 के दौरान 1107.5 करोड़ रुपए जारी किए। सरकार ने वर्ष 2021-22 के दौरान लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों के संबंध में 2019-20 की सभी लंबित किश्तों को जारी करने का भी निर्णय लिया है । यह एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के अनुसार पात्रता मानदंडों को पूरा करने और जिला अधिकारियों द्वारा अपेक्षित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के अधीन होगा।

(ग) और (घ) वित्तीय वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए एमपीलैड्स योजना को बहाल करने और एमपीलैड्स आवंटन को 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये करने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।

*****

अनुबंध-।

दिनांक 28.07.2021 को उत्तर के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *128 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

क्रम सं.	विषय	जारी करने की तारीख
1.	दिव्यांगजनों के लिए एमपीलैड्स निधि का उपयोग ।	05 सितंबर, 2016
2.	एमपीलैड्स पर दिशानिर्देशों में ग्रामीण बैंकों/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को शामिल करना ।	07 सितंबर, 2016
3.	बिना अंतराल के पुन:निर्वाचित राज्यसभा सांसदों के संबंध में एमपीलैड्स निधियों का प्रबंधन और उन्हें जारी करना ।	07 सितंबर, 2016
4.	एमपीलैड्स के अंतर्गत अन्यथा रूप से सक्षम दिव्यांगजनों को वित्तीय सहायता प्रदान करना ।	06 अक्टूबर, 2016
5.	एमपीलैड्स निधियों की दूसरी किस्त जारी करने के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र और लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना ।	02 नवंबर, 2016
6.	शैक्षणिक संस्थानों, गांवों और चयनित स्थानों में फिक्स्ड वाई-फाई सिस्टम की स्थापना ।	28 नवंबर, 2016
7.	सौर प्रकाश व्यवस्था का प्रावधान ।	20 दिसंबर, 2016
8.	एमपीलैड्स निधियां जारी करना ।	29 दिसंबर, 2016
9.	कौशल विकास और प्रशिक्षण के लिए उपकरण ।	16 फरवरी, 2017
10.	कार्यान्वयन एजेंसी का चयन ।	23 फरवरी, 2017
11.	एमपीलैड्स निधियां जारी करना ।	28 अगस्त, 2017
12.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति निवास क्षेत्रों के लिए एमपीलैड्स निधियों का उपयोग ।	18 सितंबर, 2017
13.	ट्रस्टों/सोसाइटियों के कार्यों के लिए एमपीलैड्स निधियों का आवंटन ।	25 सितंबर, 2017
14.	एमपीलैड योजना के अंतर्गत वन एमपी-वन आइडिया योजना पर स्पष्टीकरण ।	01 दिसंबर, 2017
15.	सभी कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा तत्काल प्रभाव से पीएफएमएस-ईएटी मॉड्यूल का उपयोग कर व्यय करना ।	03 जनवरी, 2018
16.	एमपीलैड्स के अंतर्गत प्रशासनिक व्यय का उपयोग ।	08 अप्रैल, 2018

17.	केरल राज्य में पुनर्वास कार्यों के लिए अंशदान ।	18 सितंबर 2018
18.	एमपीलैड्स के अंतर्गत गंभीर आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्य शुरू करने के लिए संशोधित प्रक्रिया ।	26 अक्टूबर, 2018
19.	एमपीलैड्स के अंतर्गत पात्र मदों के रूप में लैपटॉप को मान्यता ।	25 फरवरी, 2019
20.	लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में पूर्ववर्ती सांसद द्वारा छोड़ी गई एमपीलैड्स निधियों की शेष राशि जारी करना (पूर्ववर्ती सांसद के कार्यों के लिए अप्रतिबद्ध निधि) ।	12 मार्च 2020
21.	कोविड-19 के संबंध में एमपीलैड्स के अंतर्गत परीक्षण, स्क्रीनिंग और अन्य सुविधाएं प्राप्त करने के लिए एक-बारगी छूट ।	24 मार्च 2020
22.	समाज पर कोविड -19 के प्रतिकूल प्रभाव और स्वास्थ्य संबंधी देखभाल के लिए दो वर्षों (2020-21 और 2021-22) के लिए संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) का गैर-प्रचालन ।	08 अप्रैल 2020
23.	एमपीलैड्स के अंतर्गत स्टबल क्लियरिंग और सुपर सीडर मशीनों की खरीद ।	19 अक्टूबर 2020
24.	कोविड-19 के संबंध में एक-बारगी उपाय के रूप में परीक्षण, स्क्रीनिंग और अन्य सुविधाएं प्राप्त करने के लिए समय को आगे बढ़ाना और सरकारी अस्पतालों/औषधालयों में स्वतंत्र ऑक्सीजन निर्माण संयंत्रों की स्थापना के लिए एमपीलैड्स के एकमुश्त छूट को आगे बढ़ाना ।	30 अप्रैल 2021
25.	एमपीलैड्स के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 की लंबित किश्तों को जारी करना	02 जून 2021

नोट: उपरोक्त परिपत्रों/संशोधनों को www.mplads.gov.in पर देखा जा सकता है ।

*****